हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/02/26 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। संशोधित कंप्लाइंट पेश किया गया है। जो पूर्व से शामिल पत्रावली है। दावा पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी पत्रावली है। दावा पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी से 40 के खातेदार की ओर से एड० श्री जगदेव उसाना की सूची दी हुई है। अप्रार्थी सं. 2,3,5,9,10,18, 20,22,23,25,26,28,29,32,33 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। जबकि जवाब पेश करने पर्याप्त अवसर दिया गया है अतः अप्रार्थी सं 2,3,5,9,10, 18,20,22,23,25,26,28,29,32,33 का जवाब बंद किया जाता है। अप्रार्थीगण सं 34,36,38,39, 41,43 का जवाब पूर्व से पेश होकर शामिल पत्रावली है। दावा पत्रावली में कायम मुकदमा की ओर एड० प्रार्थी की ... कराना ने यू.डी. दी हुई है। अतः समन पक्षकारों की तामील हो चुकी है। प्रार्थी व अप्रार्थी निषेधाज्ञा का अवलोकन किया। प्रार्थी ने प्रा. पत्र अ. नि. इस आशय से पेश किया है कि ग्राम मीनालान ... में भूमि खाता सं नया 49 पुराना 47 के आराजी खसरा नं. 133, 223, 224 कुल किता 03 कुल रकबा 0.84 हैक्टेयर खाता सं. नया 64 पुराना 64 के आराजी ख. नं. 122 रकबा 0.70 हैक्टेयर खाता सं नया 50 पुराना 48 के आराजी खसरा नं 111, 112, 113, 124, 125, 126, 126/510, 127, 128, 129, 217, ... 222 कुल किता 16 कुल रकबा 3.96 हैक्टेयर खाता सं नया 11 पुराना 08 के आराजी खसरा नं 163 ... 169 कुल किता 07 कुल रकबा 1.67 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 32 एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य हैं। जिनकी संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभक्त संयुक्त परिवार की भूमि अन्तर्गत भूमि है उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थीगण बहैसियत बंटवारा अनुसार काबिज काश्त हैं, किन्तु भूमि का अभी विधिक बंटवारा नहीं हुआ है प्रार्थी के दादा ... थे उनके ग्यारह पुत्र हुए। ... रहते हैं *[signature]*	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	तथा एकसाथ काश्त करते थे तथा वादग्रस्त भूमि का लगान भी भौरीलाल उर्फ भौंरया देता था। जिसकी वादग्रस्त भूमि की बाबत लगान की रसीदें में भौरया पुत्र धूंधा अंकित हो रहा है एवं साथ में ही वादग्रस्त भूमि की सिंचाई का साधन नं० 64 जिसमें चाह खिरनी जिसमें विद्युत कनेक्शन प्रार्थी के दादा भौरया ने लगवाया है अप्रार्थीगण सं० 01 लगा० 32 के पूर्वज धन्ना, जंयू व अप्रार्थी सं० 01 हरिकिशन एवं अप्रार्थीगण सं० 34 लगा० 43 के पूर्वज रामधन पुत्र रामकुंवार व प्रार्थी के पिता रामजीलाल पुत्र भौरया के मध्य भूमि का आपसी अदला बदली बाबत विक्रयपत्र पंजीकृत कराने बाबत करार हुआ था किन्तु हरिकिशन एवं धन्ना, जंयू द्वारा अदला-बदली की जगह बेचान बाबत विक्रय पत्र पंजीकृत कराकर रामधन पुत्र रामकुंवार से अपने अकेलों के नाम बेचान का विक्रय पत्र पंजीकृत कराकर राजस्व अभिलेख जमाबंदी में भूमि का इन्द्राज करा लिया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के हक में खातेदारी का इन्द्राज करने से इंकार होने पर ऐसा लगा कि अप्रार्थीगण भूमि का बेचान करेंगे और नाजायज कब्जा करेंगे अतः प्रा०पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार कर अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रतिबंध लगाने बाबत निवेदन किया।
	आवेदन पर अप्रार्थीगण सं० 24, 36, 38, 39, 41, 43 द्वारा
	अप्रार्थीगण द्वारा
	जवाब पेश किया हुआ है। वकील उभयपक्ष द्वारा बहस की गयी। प्रा०पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा व दावा पत्रावली का अवलोकन किया। मूलवाद दावा उद्घोषणा खातेदारी किये जाने विक्रय पत्र, इकरारनामा को स्वत्वहीन एवं शून्य घोषित किये जाने व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु मूल वाद का पर्याप्त साक्ष्य सबूतों के आधार पर निस्तारण किया जाना है मूलवाद के विचाराधीन रहते अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि में हस्तक्षेप होने का अंदेशा प्रतीत होता है तथा प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु अप्रार्थीगण, प्रार्थी के पक्ष में साबित सिद्ध मानते हुए अप्रार्थीगण, प्रार्थी के पक्ष में
	2456

रा.मु.अ.33 4-2000-10 लाख फा.

APP
CrII

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

गुजरमल बनाम हरिकिशन वगै

किस्म मुकदमा प्र.पत्र अस्थायी नि० नं० 66 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	होना उचित प्रतीत होता है अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से इस आशय से पाबंद किया जाता है कि ग्राम मोनपुरा तह. बांदीकुई जिला दौसा में भूमि खातासं. नया 47 पुराना 47 के आराजी ख.नं. 133, 223, 224 कुल किता 03 कुल रकबा 0.84 हैक्टे. मय खातासं. नया 64 पुराना 64 के आराजी ख.नं. 122 रकबा 0.70 हैक्टे नया 50 पुराना 48 के आराजी ख.नं. 111, 112, 113, 124, 125, 126, 126/510, 127, 128, 129, 217 नया 222 कुल किता 16 कुल रकबा 3.96 हैक्टे तथा खातासं. नया 11 पुराना 08 के आराजी ख.नं. 163 नया 162 कुल किता 02 कुल रकबा 1.67 हैक्टे. व खातासं. 25 नया के ख.नं 142, 143 में प्रार्थी के उपयोग-उपभोग में कोई हस्तक्षेप न करे, रहन-बय नहीं करे। खातेदारी अधिकार नहीं करे पुख्ता निर्माण नहीं करे तथा नाजायज कब्जा नहीं करे। अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश को प्रकरण में जारी उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा (प्र.से 85/2023) गुजरमल बनाम बाबूलाल भूलचंद हरिकिशन पुत्र किशन के निर्णय तक कुर्क किया जाता है। प्रकरण फैसले अनुसार होकर बाद तकमील दाखिल मूल वाद रहे। (signature) 9/2/24 **उप खण्ड अधिकारी** बांदीकुई	